भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, गोड्डा।

आर0 ई0 आर0 केश नं0–02/2015–16

ओमप्रकाश राम

बनाम्

महेन्द्र राम

(7)

आदेश

17.6.16 अभिलेख उपस्थापित।

अपीलकर्ता श्री ओमप्रकाश राम, पिता– श्री बटेश्वर राम, ग्राम–शुण्डमारा द्वारा मौजा– शुण्डमारा थाना नं0–547, जमाबंदी नं0–123, दाग नं0–902 रकवा–01–04–06 धुर भूमि महेन्द्र राम से वापस हेतु आवेदन दिया गया है।

अंचलाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–477, दिनांक–18.03.2016 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचलाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गत सर्वे राजस्व खतियान में मौजा– शुण्डमारा, थाना नं0–547, जमाबंदी नं0–123, दाग नं0–902 रकवा–01–04–06 धुर भूमि रैयत– नेवा भगत, वल्द– लक्ष्मण भगत के नाम से दर्ज है। पूछताछ से पता चला कि आवेदक मेवा भगत के परपोता है। उक्त दाग में से रकवा–00–01–07.5 धुर भूमि घर बनाने के लिए दान स्वरूप सुनील कुमार राय, पेशरान– महेन्द्र राय जो विपक्षी के पुत्र है उन्हे पंचनामा द्वारा दिया गया। विपक्षी महेन्द्र राम द्वारा मकान निर्माण कराया जा रहा है, जिनका जमाबंदी रैयत से संबंध नहीं है।

प्रथम पक्ष द्वारा दिनांक–01/04/2016 को लिख करके दिया गया है कि मेरी जमीन मुझे वापस मिल गई है। मैं मुकदमा नहीं लड़ना चाहता हूँ।

विपक्षी द्वारा हाजरी दिया गया है, परन्तु अपना पक्ष नहीं रखा जा रहा है।

उपरोक्त परिस्थिति में विपक्षी महेन्द्र राम द्वारा भूमि पर अवैध दखल कब्जा किया गया है। भूमि का हस्तान्तरण संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 20 के अनुरूप नहीं है। भूमि के बसौड़ी भूमि होने के संबंध में स्पष्ट प्रमाण नहीं है।

संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम (पूरक) 1949 की धारा 42 के अन्तर्गत उपरोक्त भूमि श्री महेन्द्र राम, पिता– स्व0 शंभू प्रसाद राम, ग्राम–शुण्डमारा से मौजा–शुण्डमारा, थाना नं0–547, जमाबंदी नं0–123, दाग नं0–902, रकवा–00–01–07.5 धुर अवैध रूप से अन्तरित एवं दखल कब्जा किये गये भूमि के उच्छेद का आदेश दिया जाता है। अंचलाधिकारी, गोड्डा जमाबंदी रैयत को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Issued
DB No
29/
20/6/16

17.6.16 17.6.16

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा। | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा।